रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERD NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 1987/ज्येष्ठ 25, 1909
No. 313] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 1987/JYAISTHA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 575 (अ) :– केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के उपखंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित संस्थाओं को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक वित्तीय संस्थाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :–

(1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित समनुषंगी बैंक ;

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक ।

[फा. सं. 2(2)/बीआईएसआर/87]

एम. सी. सत्यवादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th June, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (k) of sub-section (1) of section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby specifies the following institutions as public financial institutions for the purposes of the said Act, namely :—

(1) The State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955) ;

(2) The Subsidiary Banks constituted under section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959).

(3) The corresponding new banks constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and Section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).

[F. No. 2(2)/BIFR/87]

M. C. SATYAWADI, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987